न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17 / 29 / 2017	05–09–2017	06–12–2017

1–कालू राम पुत्र ग्यारसी लाल सोनी जाति सोनी निवासी ग्ग्रम सासेडी तह0 बहरोड वाद मित्र सदैव नाबालिग मंदिर मूर्ति श्री ठाकुरजी महाराज विराजमान ग्राम जोनायचा खुर्द तह0 बहरोड जिला अलवर।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1–रामदेव चेला हरिदास जाति बैरागी निवासी ग्ग्रम जोनायचा खुर्द तह0 बहरोड जिला अलवर।

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री मनीष कुमार –वकील प्रार्थी

02. श्री रोहिताश्व सिंह चौहान –वकील अप्रार्थी

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी बहरोड के न्यायालय में विचाराधीन अपील प्रकरण बअनुवानी कालू राम बनाम रामदेव को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड में कालू राम बनाम रामदेव अपील विचाराधीन है। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा दावे में आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र पेश किया, उस प्रार्थना पत्र का निर्णय बिना साक्ष्य के किया जाना संभव नहीं है तथा यह भी निवेदन किया कि दावे में तनकीयात कायम कर पक्षकारान के साक्ष्य लेकर मुकदमे का निर्णय किया जावे, पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में कहा कि गलत दावा पेश किया है, जो चलने योग्य नहीं है, खारिजा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का निर्णय आगामी तारीख पर कर दूँगा। यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त निर्णय अप्रार्थी के पक्ष में कर दिया तो मिन प्रार्थीगण को नापूर्ती होने वाली क्षति होगी। इसलिऐ उक्त प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र बिना किसी युक्तियुक्त कारण के महज प्रकरण लम्बित करने के लिए पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा मुकदमा में बहस नहीं होने देने की वजह से प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर पेश किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी सही तथ्यों के आधार पर पेश किया है। अप्रार्थी को तंग व परेशान करने के लिये तथा मुकदमा को लम्बा करने के लिये गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश किया गया है। मुकदमा को चलते दस वर्ष होने के उपरान्त भी प्रार्थी बहस नहीं होने देता। उक्त प्रकरण सहायक कलक्टर बहरोड के यहाँ विचाराधीन था, जिसमें बहस नियत थी, लेकिन प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश

किया जिसमें उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बहरोड को मुन्तकिल कर दिया। प्रार्थी द्वारा पुनः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, लिहाजा प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावें।

हमनें पत्रावली व वकील उभयपक्ष द्वारा पेश दस्तावेंजात एवं पीठासीन अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पीठासीन अधिकारी उप खण्ड अधिकारी बहरोड ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु बेबुनियाद, मनगढंत एवं गलत है। प्रार्थी अपना वाद दीगर न्यायालय में मुन्तकिल कराना चाहाता है। यदि यह प्रकरण दीगर न्यायालय को स्थानान्तरित किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ केवल स्वयं का हलफनामा लगाया है अपने कथन के समर्थन में अन्य किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ पत्र पेंश नहीं किया है। आरोपों के संबंध में कोई प्रमाणित साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र का लम्बी अवधि तक चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी बहरोड को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06-12-2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)